राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक परिसर, अरेरा हिल्स,
भोपाल, मध्यप्रदेश

महत्वपूर्ण

क्रमांक / एन.एच.एम / CHN / 2019/7513 भोपाल, दिनांक 10/07/2019

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश।
3. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
5. समस्त जिला सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।

विषयः– 08 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस के आयोजन के संबंध में संयुक्त दिशा–निर्देश।

****

विषयांतर्गत लेख है कि भारत सरकार के निर्देशानुरूप प्रदेश में दिनांक 08 अगस्त 2019 "राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस" एवं दिनांक 13 अगस्त 2019 को मॉप–अप दिवस का आयोजन किया जाना है। राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस पर 1 से 19 वर्षीय हितग्राही समूह के समस्त बच्चों को एल्बेंण्डाजोल चबाने वाली मीठी गोली की प्रदायगी की जावेगी, ताकि मिट्टी जनित कृमि संक्रमण की रोकथाम सुनिश्चित हो। विदित हो कि बच्चों में कृमि संक्रमण, व्यक्तिगत अस्वच्छता तथा संक्रमित दूषित मिट्टी के संपर्क से संभावित होता हैं। कृमि संक्रमण से बच्चों की जहॉ एक ओर शारीरिक एवं बौद्धिक विकास बाधित होता है वही दूसरी ओर उनके पोषण स्तर दुंष्प्रभाव पड़ता हैं। अतः 1 सें 19 वर्षीय बच्चों का कृमिनाशन करना, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित एक साक्ष्य आधारित सकारात्मक रणनीति है।

राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस के क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग है, एवं कार्यक्रम का निष्पादन स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग व एकीकृत बाल विकास सेवायें द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा, जिसमें डोनर पार्टर संस्था–एविडेन्स एक्शन, यूनिसेफ, न्यूट्रिशन इन्टरनेशनल, तथा **CHAI** सहयोगी एजेन्सी रहेंगे। **राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस के आयोजन के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि :–**

- **राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस (National Deworming Day 2019) एवं मॉप–अप दिवस का आयोजन प्रदेश के समस्त शासकीय / शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं, आदिवासी आश्रम शालाओं, प्राइवेट / प्राइवेट अनुदान प्राप्त शालाओं, केन्द्रशासित शालाओं, मदरसों, स्थानीय निकायों तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों में दिनांक 08 अगस्त 2019 एवं 13 अगस्त 2019 को किया जाये।**
- राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस हेतु जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की जाये, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, एकीकृत बाल विकास सेवायें, आदिम जाति कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, डोनर पार्टनर प्रतिनिधि प्रायवेट स्कूल के प्रतिनिधि, केन्द्रीय विद्यालयों के प्राचार्य, मदरसों के जिला प्रतिनिधि, प्रमुख जनप्रतिनिधि,स्वच्छ भारत अभियान के प्रतिनिधि, नगरीय प्रशासन के प्रतिनिधि तथा जिला जनसम्पर्क अधिकारियों का प्रतिनिधित्व हो।
- **राज्य स्तर पर वर्ष 2019 हेतु लक्षित 1–19 वर्षीय हितग्राहियों की संख्या (Denominator), शिक्षा विभाग के U-DISE एवं महिला बाल विकास विभाग से प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई है। (अनुलग्नक–अ) अतः कवरेज रिपोर्ट में निर्धारित Denominator के आधार पर ही आच्छादन का आंकलन किया जाये।**
- शिक्षा विभाग द्वारा प्राईवेट स्कूल के अधिकारियों / प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम के संबंध में जानकारी प्रदान की जायें।
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला स्तर पर मीडिया प्रतिनिधियों को कार्यक्रम के संबंध में जागरूक करने हेतु मीडिया / प्रेस मीटिंग का आयोजन दिनांक 07 अगस्त 2019 को किया जाये।
- राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस का समारोह पूर्वक शुभारम्भ जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक अथवा जिला कलेक्टर के द्वारा दिनांक 08 अगस्त 2019 को सुनिश्चित की जाये।

- दिनांक 08 अगस्त 2019 को 1 से 2 वर्षीय बच्चों को एल्बेण्डाजोल 400 मि:ग्रा. की आधी गोली चूरा करके, 2 से 3 वर्षीय बच्चों को एक गोली चूरा करके तथा 3–19 वर्षीय सभी बच्चों को एक गोली शालाओं/आंगनवाड़ी केन्द्रों में शिक्षको तथा आंगनवाडी कार्यकर्ता की निगरानी में खिलाई जाये। छूटे हुऐ बच्चों को दिनांक 13 अगस्त 2019 को आयोजित मॉप–अप दिवस पर कृमिनाशन का लाभ दिया जाये।
- कृमि संक्रमण की अधिकता वाले बच्चों में अल्प प्रतिकूल लक्षण जैसे उल्टी, मथली, घबराहट, चक्कर आना, थकान जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते है, जो कि स्वाभाविक है। यह लक्षण क्षणिक एवं स्व–सीमित होते है। जिसकी जानकारी समस्त शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पालकों एवं मीडिया प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस के आयोजन के पूर्व ही दी जाये।
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिकूल घटनाओं के प्रबंधन हेतु मूलभूत औषधियों की उपलब्धता प्रत्येक केन्द्र पर सुनिश्चिल की जाये एवं गंभीर प्रतिकूल घटनाओं के मानक प्रबंधन हेतु संपर्क न. की उपलब्धता तथा नि:शुल्क आपात परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- सभी संबंधित विभागों के अधिकारी राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस और मॉप–अप दिवस के दौरान मॉनीटरिंग निर्धारित प्रपत्र (संलग्न– अनुलग्नक 'ब') अनुसार करे एवं भरें हुये प्रपत्रों को जिला स्तर पर संबंधित अधिकारियों को 03 दिवस के अंदर जमा करें तथा जिला स्तर से मॉनीटरिंग प्रपत्रों को nhmmpndd@gmail.com पर ई–मेल करें।
- मॉप–अप दिवस 13 अगस्त 2019 के पश्चात स्कूल तथा आंगनवाडी में बची हुई दवा को निर्धारित रिपोर्टिंग प्रपत्र के साथ ए.एन.एम./आशा को जमा करवाये। तदानुरूप आशा/ए.एन.एम. द्वारा बची हुई दवा को विकासखण्ड स्तर पर पहुँचाया जाये।
- विभिन्न विभागों के समन्वय से आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस – अगस्त 2019 में विभिन्न विभागों की निम्नानुसार भूमिका होगी :–

स्वास्थ्य विभाग	शिक्षा विभाग व आदिम जाति कल्याण विभाग	महिला बाल विकास विभाग
1. जिला स्तरीय समन्वय समिति बैठक का आयोजन। 2. आवश्यक मात्रा में एल्बेण्डाजोल गोली शासकीय शालाओं/आदिवासी आश्रम शालाओं, प्राइवेट/प्राइवेट अनुदान प्राप्त शालाओं, केन्द्रशासित शालाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों तक पहुँचाना। 3. प्रचार–प्रसार सामग्री एवं रिर्पोटिंग प्रपत्रों का वितरण। 4. समन्वित विभागों के कर्मचारियों का समय–सीमा में अर्द्ध दिवसीय प्रशिक्षण सुनिश्चित करना। प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण के दौरान फिलप चार्ट का उपयोग किया जाना। 5. प्रशिक्षण में संस्थावार एन.डी.डी. किट का वितरण। एन.डी.डी. किट में निम्न सामग्री होगी :– (i)एल्बेण्डाजोल 400 मि.ग्रा. की चबाने वाली गोली	1. जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में भागीदारी सुनिश्चित करना। 2. कक्षाओं में इंद्राज बच्चों की संख्या स्वास्थ्य विभाग से सांझा करना ताकि तदानुसार आवश्यक औषधियों की व्यवस्थापन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुनिश्चित की जा सके। 3. अधीनस्थ शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु नामांकन एवं प्रशिक्षण में भागीदारी सुनिश्चित करना। 4. प्रायवेट, केन्द्रीय शालाओं, मदरसों की भागीदारी उक्त कार्यक्रम में सुनिश्चित करना। 5. एन.डी.डी. 2019 हेतु प्रदायित प्रसार सामग्री का यथोचित प्रदर्शन। 6. कक्षा 1 से 12वी के शिक्षकों के माध्यम से पंजीकृत समस्त बच्चों को एल्बेण्डाजोल गोली की निगरानीबद्ध	1. जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में भागीदारी सुनिश्चित करना। 2. आंगनवाडी केन्द्रों में दर्ज बच्चों की संख्या एवं शाला अप्रवेशी/शाला त्यागी बच्चों की संख्या स्वास्थ्य विभाग से सांझा करना ताकि तदानुसार आवश्यक औषधियों की व्यवस्थापन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुनिश्चित की जा सके। 3. अधीनस्थ आंगनवाडी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हेतु नामांकन एवं प्रशिक्षण में भागीदारी सुनिश्चित करना। 4. एन.डी.डी. 2019 प्रदायित प्रसार सामग्री का प्रदर्शन। 5. 1 से 2 वर्षीय बच्चों को एल्बेण्डाजोल की आधी गोली तथा 2 से 3 वर्षीय बच्चों को पूरी

(ii)प्रतिकूल घटना प्रबंधन हेतु औषधियां (iii)संपर्क नम्बर सूची, 108 (iv)फ्लेक्स / बैनर (समस्त निजी विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, मदरसा तथा स्थानीय निकाय विद्यालय के लिये) (v)शिक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु रिर्पोटिंग प्रपत्र युक्त हेन्डआउट (vi)आशा हेतु पेम्पलेट एवं कम्यूनिटि हैण्ड बिल (vii)शालाओं तथा आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु दो पोस्टर 6. एन.डी.डी के दौरान किसी भी प्रतिकूल घटना के प्रबंधन हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना। 7. एन.डी.डी के दौरान प्रतिकूल घटना के प्रबंधन हेतु निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सक, आशा तथा आकस्मिक परिवहन हेतु वाहन के सम्पर्क नम्बर का संबंधित विभागों से सांझा करना। 8. निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एन.डी.डी. एप में इन्द्राज करना। 9. कार्यक्रम की निगरानी, रिर्पोट संकलन एवं सुधारात्मक विश्लेषण।	प्रदायगी। 7. एन.डी.डी. दिवस तथा मॉप–अप दिवस के दिन अधिकाधिक बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। 8. गोली के सेंवन उपरांत बच्चों के पीने हेतु स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था। 9. छोटे बच्चों को मीठी गोली के प्रदायगी के समय गोली को चम्मच से चूरा करने पर विशेष ध्यान। 10. राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस के संबंध में पालकों को पूर्व सूचना देना। 11. स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदायित निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सक, आशा तथा आकस्मिक परिवहन हेतु वाहन के संपर्क न. का शाला में प्रमुखता से प्रदर्शन। 12. बच्चों को एन.डी.डी दिवस पर गोली की प्रदायगी उपरांत उपस्थिति पंजी में ✓ का निशान लगाना तथा मॉप–अप दिवस पर गोली का सेवन करने वाले बच्चों के नाम के आगे ✓✓ का निशान लगाना। 13. हितग्राही बच्चों के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में रिर्पोट स्वास्थ्य विभाग से निर्धारित समयावधी में सांझा करना। कार्यक्रम की निगरानी, रिर्पोट संकलन – कागजी एवं सुधारात्मक विश्लेषण।	गोली-चम्मच से चूरा करके एवं 3 से 5 वर्ष के बच्चों को पूरी गोली समक्ष में खिलाना। 6. 5 से 19 वर्षीय समस्त शाला अप्रवेशी / शाला त्यागी बच्चों का आंगनवाड़ी केन्द्र में एकत्रिकरण करना एवं एल्बेण्डाजोल गोली का सेवन सुनिश्चित करना। 7. गोली के सेवन उपरांत बच्चों के पीने हेतु स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था। 8. बच्चों को एन.डी.डी दिवस पर गोली की प्रदायगी उपरांत उपस्थिति पंजी में ✓ का निशान लगाना तथा मॉप–अप दिवस पर गोली का सेवन करने वाले बच्चों के नाम के आगे ✓✓ का निशान लगाना। 9. स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदायित निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सक, आशा तथा आकस्मिक परिवहन हेतु वाहन के संपर्क न. का आंगनवाडी में प्रमुखता से प्रदर्शन। 10. हितग्राही बच्चों के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में रिर्पोट स्वास्थ्य विभाग से निर्धारित समयावधी में सांझा करना। 11. कार्यक्रम की निगरानी, रिर्पोट संकलन – कागजी एवं सुधारात्मक विश्लेषण।

राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस –2019 के सफल आयोजन हेतु समस्त समन्वित विभाग स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

छवि भारद्वाज मिशन संचालक एन.एच.एम. म.प्र.	आईरिन सिंथिया जे.पी. संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र.	एम.बी.ओझा आयुक्त महिला एवं बाल विकास सेवायें म.प्र.	जयश्री कियावत, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय,म.प्र.	दीपाली रस्तोगी, आयुक्त आदिवासी विकास म.प्र.

क्रमांक / एन.एच.एम / CHN / 2019 / 7514 भोपाल, दिनांक 10 / 07 / 2019

प्रतिलिपिः— आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

1. प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वल्लभ भवन मध्यप्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, वल्लभ भवन, मध्यप्रदेश।
4. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
5. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
7. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश।
10. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
11. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एविडेंस एक्शन—डीवर्म द वर्ल्ड इनिशिएटिव, मध्यप्रदेश की ओर लेख है कि अपने क्षेत्रीय तथा जिला समन्वयकों के माध्यम से शिक्षा, आदिम जाति कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के मध्य समन्वय स्थापित करें।
12. पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, भोपाल।
13. उप संचालक, CHAI मध्यप्रदेश।
14. राज्य कार्यक्रम प्रतिनिधि, न्यूट्रिशन इन्टरनेशनल, मध्यप्रदेश।
15. समस्त, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
16. समस्त, संभागीय RMNCHA समन्वयक एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
17. समस्त, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।

छवि भारद्वाज मिशन संचालक एन.एच.एम. म.प्र.	आईरिन सिंथिया जे.पी. संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र.	एम.बी.ओझा आयुक्त महिला एवं बाल विकास सेवायें म.प्र.	जयश्री कियावत, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय,म.प्र.	दीपाली रस्तोगी, आयुक्त आदिवासी विकास म.प्र.

अनुलग्नक-'म'

NDD August 2019 Freezed Denominator

SN	District	1-5years Children	5-10 years Children	10-19 years Adolescents	Total
1	AGAR MALWA	55913	79285	83837	219035
2	ALIRAJPUR	126837	132273	122436	381546
3	ANUPPUR	59774	88235	118823	266832
4	ASHOKNAGAR	84006	122141	130820	336967
5	BALAGHAT	123498	188908	276239	588645
6	BARWANI	182971	184189	169301	536461
7	BETUL	112945	181637	259089	553671
8	BHIND	158672	189642	267272	615586
9	BHOPAL	180051	328661	364361	873073
10	BURHANPUR	77676	100693	106684	285053
11	CHHATARPUR	212454	268366	351915	832735
12	CHHINDWARA	165421	230314	321763	717498
13	DAMOH	128320	170479	225386	524185
14	DATIA	71083	90472	117655	279210
15	DEWAS	154164	191281	242455	587900
16	DHAR	230385	310312	333450	874147
17	DINDORI	70940	99927	126980	297847
18	GUNA	179746	187088	213579	580413
19	GWALIOR	172407	265787	321872	760066
20	HARDA	45761	70636	85563	201960
21	HOSHANGABAD	100907	144907	208273	454087
22	INDORE	185512	421526	505970	1113008
23	JABALPUR	184093	255430	355392	794915
24	JHABUA	184332	210761	224066	619159
25	KATNI	115625	170781	237751	524157
26	KHANDWA	122680	182425	216521	521626
27	KHARGONE	180098	252468	294961	727527
28	MANDLA	86070	129002	175632	390704
29	MANDSAUR	108201	167626	197030	472857
30	MORENA	212008	265287	314171	791466
31	NARSIMHAPUR	86034	121682	164432	372148
32	NEEMUCH	66895	94840	120273	282008
33	PANNA	100071	146188	176923	423182
34	RAISEN	117744	170140	207066	494950
35	RAJGARH	153793	206849	270472	631114
[illegible]	RATLAM	147872	197409	220373	565654
37	REWA	240501	310101	423355	973957
38	SAGAR	236634	318024	442082	996740
39	SATNA	198101	291688	386789	876578
40	SEHORE	128789	180204	246024	555017
41	SEONI	106872	161342	233633	501847
42	SHAHDOL	96678	135201	175082	406961
43	SHAJAPUR	88522	116550	139224	344296
44	SHEOPUR	82162	112760	112994	307916
45	SHIVPURI	197624	246451	291001	735076
46	SIDHI	129359	169325	219278	517962
47	SINGRAULI	145724	179560	205590	530874
48	TIKAMGARH	152209	219191	256177	627577
49	UJJAIN	178010	236265	284719	698994
50	UMARIA	61567	86088	115111	262766
51	VIDISHA	135437	188031	219484	542952
	STATE	6923143	9568426	11879331	28370900

अनुलग्नक 'ब'

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस निरिक्षण प्रपत्र

निरिक्षण की तिथि

(जो लागू होता है उस बॉक्स पर सही का निशान लगाएं ☐ राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (...../......../2019)
☐ मॉप–अप दिवस (...../......../2019)

सामान्य जानकारी							
मॉनिटर का नाम और मोबाइल नंबर	निरिक्षण स्थल	स्कूल / आंगनवाडी केंद्र का नाम	स्कूल डायस(DISE) / आंगनवाडी केंद्र कोड	राज्य	जिला	ब्लॉक	वार्ड /ग्राम
	1. सरकारी स्कूल 2. प्राइवेट स्कूल 3. आंगनवाडी केंद्र						
यदि निरिक्षण का स्थान सरकारी/निजी स्कूल है तो कृपया नीचे लिखी सूचनाएं भरें							
विद्यालय में कुल नामांकित बच्चों की संख्या		विद्यालय में कुल उपस्थित बच्चों की संख्या					

निरिक्षण खंड: अपने अवलोकन और साक्षात्कार के आधार पर भरें

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अवलोकन

1. क्या स्कूल /आंगनवाडी केंद्र के पास कृमि नियंत्रण की दवाई है? 1 हाँ 2 नहीं
2. क्या कृमि नियंत्रण की उपलब्ध दवाई सभी नामांकित और स्कूल न जाने वाले/ अपंजीकृत बच्चों के लिए पर्याप्त है 1. हाँ 2.नहीं
3. दवाई की एक्सपायरी तारीख क्या है?
4. क्या स्कूल /आंगनवाडी केंद्र के पास कृमि नियंत्रण के निम्नलिखित प्रावधान हैं? जो लागू होते हैं, उन सभी पर घेरा बनाएं।
   1.स्कूल/आंगनवाडी हैण्ड आउट/रिपोर्टिंग प्रपत्र 2. पीने का पानी 3. ओ.आर.अस. पैकेट 4. इनमे से कोई नहीं
5. क्या बच्चो को कृमि नियंत्रण की दवाई खिलाई जा रही हैं? 1. हाँ 2.नहीं
6. अगर नहीं, तो स्कूल/आंगनवाडी केंद्र में कृमि नियंत्रण कार्यक्रम क्यों नही चल रहा है?
7. अगर हाँ, तो बच्चों को कृमि नियंत्रण की दवाईं कौन खिला रहे हैं? जो लागू होते हैं, उन सभी पर घेरा बनाएं।
   1. आंगनवाडी कार्यकर्ता 2.शिक्षक/मुख्याध्यापक 3. आशा 4. अन्य (निर्दिष्ट करें)..................
8. क्या आशा आंगनवाडी केंद्र में उपस्तिथ है? 1. हाँ 2. नहीं
9. क्या आशा आंगनवाडी कार्यकर्ता को कृमि नियंत्रण कार्यक्रम में सहयोग दे रही है? 1. हाँ 2. नहीं
10. क्या शिक्षक/ आंगनवाडी कार्यकर्ता कृमि नियंत्रण दवाई देने पहले बीमार बच्चों को स्वस्थ्य बच्चो से अलग कर रहे हैं? 1. हाँ 2. नहीं
11. क्या शिक्षक/आंगनवाडी कार्यकर्ता ने बच्चों को दवाई देने के बाद उपस्थिति रजिस्टर में हर बच्चे के नाम के आगे (✓/✓✓)लगाया है? 1.हाँ 2. नहीं
12. क्या आशा /आंगनवाडी कार्यकर्ता ने स्कूल न जाने वाले/ अपंजीकृत बच्चे जिन्हें दवाई दी गई उनकी सूचि तैयार की थी? 1. हाँ 2. नहीं 3. अपंजीकृत बच्चों को दवाई नही दी गई
13. क्या स्कूल न जाने वाले/ अपंजीकृत बच्चो को स्कूल/आंगनवाडी केंद्र में दवाई दी जा रही है ? 1. हाँ 2. नहीं
14. क्या शिक्षक बच्चो को कृमि नियंत्रण सम्बन्धी कोई स्वास्थय शिक्षा दे रहे है ? 1. हाँ 2. नहीं
15. क्या शिक्षक/ आंगनवाडी कार्यकर्ता बच्चो को एल्बेंडाजॉल की उपयुक्त मात्रा (1–2 वर्ष के बच्चो को आधी गोली/2–19 वर्ष के बच्चो को पूरी गोली)दे रहे है? 1. हाँ 2. नहीं
16. क्या शिक्षक/आंगनवाडी कार्यकर्ता बच्चो को अपने सामने दवाई खाने को कह रहे है? 1. हाँ 2. नहीं
17. क्या बच्चो को एल्बेंडाजॉल दवाई को चबा के खाने का निर्देष दिया जा रहा है ? 1. हाँ 2. नहीं

प्रशिक्षण पक्ष

18. क्या आपने या आपके स्कूल/ आंगनवाडी केंद्र के किसी शिक्षक/आंगनवाडी कार्यकर्ता ने पिछले 2 महीनों में कृमि नियंत्रण के लिए कोई औपचारिक प्रशिक्षण लिया है? 1.हाँ 2. नहीं

19. अगर हाँ, तो क्या जिन्होंने प्रशिक्षण लिया हैं उन्होंने अन्य को परिक्षण दिया है? 1. हाँ 2. नहीं

20. शिक्षक/आंगनवाडी कार्यकर्ता ने प्रशिक्षण कहाँ लिया था ? 1. स्कूल में 2.ब्लॉक प्रशिक्षण 3. जिला प्रशिक्षण 4. अन्य (निर्दिष्ट करें)............

21. प्रशिक्षण के समय क्या सामग्री मिली थी?

1. दवाई 2. पोस्टरं / बैनर 2. हैण्ड आउट/रिपोर्टिंग प्रपत्र 3 . .प्रतिकूल घटना रिपोर्टिंग प्रपत्र 4. अन्य (निर्दिष्ट करें)..........

22. क्या आपको मोबाइल पर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का कोई सन्देश मिला था ? 1. हाँ 2. नहीं

प्रतिकूल घटनाये

23. शिक्षक/आंगनवाडी कार्यकर्ता के अनुसार, क्या बीमार बच्चो को कृमि नियंत्रण की दावा खिलाई जा सकती है? 1. हाँ 2. नहीं

24. क्या शिक्षक/आंगनवाडी कार्यकर्ता को कृमि नियंत्रण सम्बंधित प्रतिकूल घटना की जानकारी थी? 1. हाँ 2. नहीं

25. अगर हाँ, तो प्रतिकूल घटना के समय उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? जो लागू होते हैं, उन सभी पर घेरा बनाएं।
1. बच्चे को छाया में लिटायें 2. पीने के लिए साफ़ पानी दे 3. ए.एन.म नजदीकी पी.एच.सी. को संपर्क करें 4. अन्य (निर्दिष्ट करें)..... ....

26. कृमि नियंत्रण की दवाई लेने के बाद बच्चो के द्वारा क्या प्रतिकूल घटनाये रिपोर्ट की जा सकती हैं? जो लागू होते हैं, उन सभी पर घेरा बनाएं।
1. पेट में हल्का दर्द 2. मतली/उलटी 3. दस्त 4.थकान 5. अन्य (निर्दिष्ट करें)...........

27. क्या आपने स्कूल/आंगनवाडी में कोई गंभीर प्रतिकूल घटना देखी? 1. हाँ 2. नहीं

28. क्या स्कूल/आंगनवाडी के पास ए.एन.म या नजदीकी पी.एच.सी. का नंबर है ? 1. हाँ 2. नहीं

सामुदायिक जागरूकता और आई.इ.सी सामग्री

29. स्कूल/आंगनवाडी केंद्र पर क्या आई.इ.सी. सामग्री दिखाई दे रहे थे? जो लागू होते हैं, उन सभी पर घेरा बनाएं।
1. पोस्टर 2. बैनर 3. कोई आई.इ.सी. सामग्री नहीं है 4.अन्य आई.इ.सी. सामग्री (निर्दिष्ट करें)........

30. स्कूल/आंगनवाडी केंद्र में निम्नलिखित में से कौन से सन्दर्भ दस्तावेज़ मौजूद है? जो लागू होते हैं, उन सभी पर घेरा बनाएं।
1. शिक्षक/आंगनवाडी हैण्ड आउट/ रिपोर्टिंग प्रपत्र 2. प्रतिकूल घटना रिपोर्टिंग प्रपत्र 3. कोई दस्तावेज़ नहीं 4.अन्य (निर्दिष्ट करें)........

31. आशा द्वारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस से पहले समुदाय संगठन के लिए क्या क्या कदम लिए गए? जो लागू होते हैं, उन सभी पर घेरा बनाएं।
1. ग्राम स्तर पर बच्चो के माता पिता के साथ बैठक 2. बच्चो के माता पिता को कृमि से होने वाले हानिकारक प्रभाव पे बताया
3. बच्चो के माता पिता को कृमि नियंत्रण लाभ के बारे में बतया 4. माता पिता को कृमि के पुनर्संक्रमण से बचाव के लिए व्यवहार परिवर्तन के बारे में बताया 5. अन्य निर्दिष्ट करें)........

32. आपको कृमि नियंत्रण कार्यक्रम 2017 के बारे में जानकारी कहाँ से मिली?
1. विभागीय संचार 2. टेलीविज़न 3. रेडियो समाचार पत्र 4.बैनर 5. स.एम.स(SMS) 6 . प्रशिक्षण 7. अन्य (निर्दिष्ट करें)........

33. बच्चों को कृमि संक्रमण किन तरीको से हो सकता है? जो लागू होते हैं, उन सभी पर घेरा बनाएं।
1. बिना हाथ धोये भोजन करना 2. शौच के बाद हाथ न धोना
3. शौचालय का प्रयोग ना करना 4. नंगे पाव घूमना 5. सब्जियां और फल बिना धोये हुए खाना 6. अन्य (निर्दिष्ट करें)........

अतिरिक्त टिप्पणियां: कृपया पूर्व खंड में शामिल न किये गए किसी अवलोकन को लिखें